न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

अपील संख्या :– 130/17 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– धनसिंह बनाम दीपचन्द

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
15/7/2019	पत्रावली प्रस्तुत हुई । उभयपक्ष को सुना गया । पत्रावली पर विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 01 ने तहत न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 345/16 में पारित निर्णय दिनांक 24.5.18 की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की है, जिसके अवलोकन से सिद्ध है कि उक्त वाद में तकासमा की अंतिम डिक्री पारित की गई है । प्रस्तुत अपील तहत न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 345/16 में पारित प्राथमिक डिक्री के खिलाफ है । चूंकि जब तहत न्यायालय द्वारा उक्त राजस्व वाद संख्या 345/16 में तकासमा की अंतिम डिक्री पारित की जा चुकी है तो ऐसी स्थिति मे प्राथमिक डिक्री के खिलाफ पेश की गई यह अपील इन्फैक्चस (प्रभावहीन) हो चुकी है । अतः अपील अपीलांट प्रभावहीन होने के कारण खारिज की जाती है । निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो । भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी,अलवर

Scanned by CamScanner